नकल हायाशहि आदेश दिनांक-18/12/12 मय नजरी नक्शा प्रतिहि प्रमाणित

न्यायालय उपजिलाधिकारी छिबरामऊ, जनपद कन्नौज

वाद सं0 10 / 2012
श्रीमती अगतुन्नाबानो महिला महाविद्यालय
रामगंज गुरसहायगंज द्वारा प्रबन्धक
श्रीमती रिजवाना सिद्दीकी

बनाम

सरकार

धारा– 143 जे0ए0एल0आर0एक्ट
मौजा– खाडेदेवर
परगना– तालग्राम
तहसील– छिबरामऊ

निर्णय

श्रीमती अगतुन्नाबानो महिला महाविद्यालय रामगंज गुरसहायगंज द्वारा प्रबन्धक रिजवाना सिद्दीकी पत्नी .... सिद्दीकी निवासी मो0 गाँधीनगर गुरसहायगंज परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है कि गाटा संख्या 836, 837 एवं ...... मौजा खाडेदेवर परगना तालग्राम के आवेदकगण संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा व दखल है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं होता है बल्कि उक्त भूमि पर महाविद्यालय का भवन व चारो तरफ दीवाले बनी है तथा कोई विवाद नहीं है, अतः उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जावे।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार छिबरामऊ से करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी आख्या दिनांक 14.12.2012 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। आख्यानुसार गाटा संख्या 837 रकबा 0.130, 836 रकबा 0.130 व 835 रकबा 0.437 कुल 3 किता रकबा 0.697 व गाटा संख्या 839 रकबा 0.312 पर स्थित ग्राम खाडेदेवर परगना तालग्राम के प्रार्थीगण के नाम दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन बागवानी आदि कार्य नहीं होता है, बल्कि मौके पर महाविद्यालय का भवन व चारो तरफ दीवाल बनी है। उक्त भूमि को धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार संस्तुति की गयी है। कृषि आदि कार्यो से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग हेतु अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्रीमती अगतुन्नाबानो महिला महाविद्यालय रामगंज गुरसहायगंज द्वारा प्रबन्धक रिजवाना सिद्दीकी पत्नी ....सिद्दीकी निवासी मो0 गाँधीनगर गुरसहायगंज परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज की आराजी स्थित ग्राम खाडेदेवर परगना तालग्राम की गाटा संख्या 837 रकबा 0.130, 836 रकबा 0.130 व 835 रकबा 0.437 कुल 3 किता रकबा 0.697 व गाटा संख्या 839 रकबा 0.312 तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज को कृषि कार्य बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्वर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है), से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। नजरी नक्शा सहित आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को नियमानुसार भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

(राजेन्द्र सिंह ......)
उपजिलाधिकारी छिबरामऊ

नकल नं0 – 33
दरख्वास्त पेश की तिथि – 18/12/12
द्वारा – श्रीमती रिजवाना सिद्दीकी
नकल तैयार हुई – 18/12/12
नोटिस दी गई – 18/12/12
नकल दी गई – 18/12/12
.... 3=13.00

प्रतिलिपि हायाशहि सत्यापित
18/12/12

Advocate 4013
Distt. – Kannauj, U.P.
Regd. No. 6963-14-10-08

R. Suhana Siddiqui

प्रबन्धक
ए0 बी0 महिला महाविद्यालय
रामगंज गुरसहायगंज, कन्नौज